संख्या-4/2026/आई/1219031/2026/001-23-14002(099)/1/2026

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-04-337-0800-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो हेतु आजमगढ़ क्षेत्र के जनपद बलिया के कुल 15 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक- आई/392660/2025, दिनांक 23.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद बलिया के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 15 कार्यो, जिसका कुल योग रू0 485.24 लाख (रूपये चार करोड़ पच्चासी लाख चौबीस हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागत के सापेक्ष कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 242.67 लाख (रूपये दो करोड़ बयालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी मे)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रा.ख. बलिया	निपनिया से सरकण्डा हरपुर होते हुए सिवानकलां तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	5.000	74.090	37.05
2	प्रा.ख. बलिया	भोर छपरा से बहेरा नाला तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	1.500	17.950	8.98
3	प्रा.ख. बलिया	बाछापार से रामापार होते हुए कड़सर मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	2.900	34.600	17.30
4	प्रा.ख. बलिया	सोनौली बलिया से चकपुरूषोत्तम सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	1.100	21.670	10.84
5	प्रा.ख. बलिया	मासूमपुर यादव बस्ती से काली स्थान होते हुए सोनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	2.300	34.140	17.07
6	प्रा.ख. बलिया	करमौता सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	0.500	26.790	13.40
7	प्रा.ख. बलिया	जनुवान चमरायन सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	0.500	26.850	13.43
8	प्रा.ख. बलिया	हरदिया जमीन डीह बाबा के स्थान से भरथाव	VR	2.450	38.810	19.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		गांव होते हुए ग्रामसभा तेन्दुआ तक मार्ग का विशेष मरम्मत				
9	प्रा.ख. बलिया	ग्राम इूहा रामकिशुन प्रजापति के घर से जंगली बाबा के कुटी होते हुए कठौड़ा पिच रोड तक मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	2.500	39.140	19.57
10	प्रा.ख. बलिया	सिकन्दरपुर बलिया मार्ग से धूरी के टोला से गांगकिशोर चतुरसंठी होते हुए जलालीपुर सिकन्दरपुर मनियर मार्ग तक मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	2.500	39.250	19.63
11	प्रा.ख. बलिया	सिकन्दरपुर मनियर मार्ग से चेतन किशोर मैदान होते हुए ब्रम्हस्थान राजभर बस्ती होते हुए गनपति यादव तक मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	2.000	31.720	15.86
12	प्रा.ख. बलिया	नगरा सिकन्दरपुर मार्ग से सन्दवापुर माइनर की पटरी मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	1.200	35.910	17.96
13	प्रा.ख. बलिया	सोनौली बलिया से अम्बेडकर ग्राम रूद्रवार सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	1.660	32.270	16.14
14	प्रा.ख. बलिया	जगदरा पुरा दुलार राय पिच रोड से टोला हरशरन सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	1.000	18.000	9.00
15	प्रा.ख. बलिया	लखनापार इसार पी0डब्लू0डी0 मार्ग से इसारपिथापट्टी पल्टूपुर तक मार्ग का विशेष मरम्मत	VR	0.800	14.050	7.03
		योग		**27.91**	**485.24**	**242.67**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
2. प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।
3. लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
6. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।
7. प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

8. विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,42,67,000 (रुपये दो करोड़ बयालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054043370800 चीनी मिल परिक्षेत्र में मार्गो की मरम्मत /नवीनीकरण/ विशेष मरम्मत कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0 नि0 वि0, उ0प्र0 शासन
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/7/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।